



**भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**
मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



**संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
2013 की सं. 23**

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
2013 की सं. 23

विषय सूची

| | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|---|-----------|-------|
| प्राक्कथन | | v |
| विहंगावलोकन | | vii |
| अध्याय I : सामान्य | | |
| स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे | 1.1 | 1 |
| संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब | 1.2 | 4 |
| उपयोग प्रमाण पत्र | 1.3 | 5 |
| प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम | 1.4 | 6 |
| अध्याय II : कृषि मंत्रालय | | |
| राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड | | |
| विशिष्ट रोगजनक मुक्त झींगा सन्तति गुणन केन्द्र की स्थापना पर निष्फल व्यय | 2.1 | 25 |
| अध्याय III : संस्कृति मंत्रालय | | |
| एशियाई समिति, कोलकाता | | |
| कर्मचारियों को अनुचित लाभ | 3.1 | 29 |
| अध्याय IV : स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | | |
| अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान | | |
| शिक्षण साधन भत्ते पर अप्राधिकृत व्यय | 4.1 | 33 |
| शल्य चिकित्सीय मदों के प्रापण पर अधिक भुगतान | 4.2 | 34 |
| अध्याय V : मानव संसाधन विकास मंत्रालय | | |
| उच्चतर शिक्षा विभाग | | |
| योजना एवं वास्तुकला विद्यालय | | |
| भूमि की खरीद पर निधियों का अवरोधन | 5.1 | 39 |
| अनियोजित खरीद के कारण सू.प्रौ. उपकरण बेकार पड़े रहे | 5.2 | 40 |
| संकाय सदस्यों द्वारा कंप्यूटरों तथा पेरीफेरल की खरीद की प्रतिपूर्ति हेतु संचित व्यवसायकि विकास भत्ते का अनियमित उपयोग- ₹ 1.52 करोड़ | 5.3 | 42 |

| | | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|--|--|-----------|-------|
| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली एवं जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय | | | |
| जल प्रभारों पर छूट का दावा न किया जाना | 5.4 | 43 | |
| विश्व भारती | | | |
| ब्याज की हानि | 5.5 | 44 | |
| अध्याय VI : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | | | |
| प्रसार भारती | | | |
| अधिक संस्वीकृत भार के कारण विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त भुगतान | 6.1 | 46 | |
| अध्याय VII : पोत परिवहन मंत्रालय | | | |
| मोर्मूगाव पत्तन न्यास | | | |
| निधियों का अवरोधन | 7.1 | 48 | |
| अध्याय : VIII | | | |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की सारांशीकृत स्थिति | 8.1 | 52 | |
| परिशिष्ट | | | |
| I | केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2007-08 से 2011-12 तक अवमुक्त किए गए अनुदानों/ऋणों की लेखापरीक्षा भा.नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 के धारा 19(2) और 20(1) के अधीन की गई | 55 | |
| II | केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2007-08 से 2011-12 के दौरान अवमुक्त किए गए अनुदानों/ऋणों की भा.नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 के धारा 14(1) और 14(2) के अधीन की गई लेखापरीक्षा | 81 | |
| III | निकायों की सूची, जिन्होंने तीन महीनों से भी अधिक की देरी के पश्चात लेखा प्रस्तुत किया | 98 | |
| IV | लेखा की प्रस्तुति में 2011-12 तक की अवधि के लिए बकाया | 101 | |
| V | स्वायत्त निकायों की सूची, जिनका लेखापरीक्षित लेखा संसद में 31 दिसम्बर 2012 को प्रस्तुत नहीं किया गया | 102 | |
| VI | स्वायत्त निकायों द्वारा पार्लियामेंट को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए लेखापरीक्षित लेखा की प्रस्तुति में देरी | 109 | |
| VII | अप्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र | 120 | |
| VIII | की गई कार्यवाही पर टिप्पणियाँ मार्च 2013 तक | 133 | |

| अनुबंध | | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|--------|--|-----------|-------|
| I | स्वायत्त निकायों की सूची, जहाँ वर्ष 2011-12 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई | 137 | |
| II | स्वायत्त निकायों की सूची, जहाँ वर्ष 2011-12 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था | 140 | |
| III | स्वायत्त निकायों की सूची, जहाँ वर्ष 2011-12 के दौरान वरस्तु सूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था | 143 | |
| IV | स्वायत्त निकायों की सूची, जिन्होंने वित्त-मंत्रालय द्वारा नियत की गई निवेश पद्धति के अनुसार, भविष्य निधि शेष का निवेश नहीं किया था | 146 | |
| V | स्वायत्त निकायों की सूची, जो नगद आधार पर अनुदानों का लेखांकन करती हैं | 147 | |
| VI | स्वायत्त निकायों की सूची, जिनकी गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपादान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नहीं की गयी है | 149 | |
| VII | स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने अचल संपत्तियों पर हुए हास को उपलब्ध नहीं कराया है | 152 | |
| VIII | स्वायत्त निकायों की सूची, जिन्होंने लेखापरीक्षा के आग्रह से अपने लेखा में संशोधन किया | 153 | |